जगदीश बनाम नरेगा अधिकारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आदेशिका

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 /2016 — दायरा दिनांक 09.08.2016 — निर्णय दिनांक

अनुवान

1. जगदीश उम्र करीब 62 साल पुत्र श्री भभूता
2. लखमी चन्द उम्र करीब 19 साल पुत्र श्री हेतराम जातियान अहीरान निवासीयान पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

बनाम

1. कार्यकारी अधिकारी नरेगा पंचायत समिति व तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

दावा हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 188 राज0टी0ऐ01955
व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधि01955 आदेश 39 नियम 1 व 3दफा 151 जा0दी0

उपस्थितः

1. श्री सुनील यादव अधिवक्ता, प्रार्थीगण
2. श्री रामफल यादव अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा विस्तृत तथ्यो सहित प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि01955 आदेश 39 नियम 1 व 3 दफा 151 जा0दी0इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थनापत्र में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि प्रस्तुत कर्दा वाद पत्र शपथ पत्र एंव दस्तावेजात से प्रार्थीगण/वादीगण का केस बाखूबी प्राइमाफेसाई आ्रद वो साबित होता है। विवादित हाल आराजी ख0 सं0 1275/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1277/872 रकबा 1–07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4–02 बिस्वा दर्ज खाता 85 एंव हाल खसरा स0 1274/872 रकबा 2–15 बिस्वा , 1276/872 रकबा 1–06 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4–01 बिस्वा दर्ज खाता 298 वाके मौजा पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 1275/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1277/872 रकबा 1–07 बिस्वा एंव 1274/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1276/872 रकबा 1–06 बिस्वा गत खसरा नम्बर 872 वाके मोजा पाटन अहीर तहसील कोटकासिम से पैमूद हुए है। उक्त विवादित आरीजायात का गत खसरा नम्बर 872 बडा नम्बर था जो मिन वादीगण की कब्जा काश्त एंव खातेदारी की आराजी है। हम पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से तकासमा हो जाने के कारण हाल आराजी ख0 न0.

Scanned by CamScanner

1275/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1277/872 रकबा 1–07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4–02 बिस्वा दरज खाता 65 वादी सं. 1 जगदीश के हिस्से कब्जे में आया है। राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 1 जगदीश का अलग से खाता कायम कर दिया गया है तथा हाल खसरा नम्बर 1274/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1276/872 रकबा 1–06 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4–01 बिस्वा दरज खाता 298 कानूनी रूप से हुए तकासमा में वादी सं0 2 लखमी चन्द के हिस्से कब्जे में आया है। जिसका भी अलग खाता कायम कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद कर दिया गया है। तथा हम पक्षकारान जमा सरकारी अलग –अलग अपने–अपने खाता के अनुसार ही अदा करते चले आ रहें है। चूंकि हम पक्षकारान के कानूनी रूप से बाद तकासमा अलग–अलग खाते कायम कर दिये गये। तथा हम शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात का कानूनी रूप से तकासमा किया जाकर कुरेजात कर दिये गये। गत ख. सं. 872 रकबा 8–03 बिस्वा के हाल खसरा नम्बरान 1275/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1277/872 रकबा 1–07 बिस्वा एंव 1274/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1276/872 रकबा 1–06 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा है। चूंकि हमारी विवादित आरीजायात के अन्दर से कोई रास्ता नहीं है ना ही कभी था। लेकिन प्रतिवादी बिना किसी कानूनी अधिकार के जबरन लठ के बल पर हमारी आराजीयात के अन्दर से नया रास्ता कायम करना चाहता है तथा विवादित आराजीयात के अन्दर से बिना किसी कानूनी अधिकार के नया रास्ता कायम कर सडक का निमार्ण करने पर तुला हुआ है। जिसकी धमकी प्रतिवादी ने हम वादीगन को दिनांक 8.8.2016 को दी है यदि प्रतिवादी अपने बेजा फेल में कामयाब हो गया तो हमे अपने अधिकारो से वंचित होना पड जावेगा। सुविधा का सन्तुलन वो नापूर्तिनीय क्षति बहक वादीगन है। इसलिये विवादित आराजीयात के रकबा 8–03 बिस्वा को छोड कर ही सडक का निमार्ण किया जावे। विवादित आराजीयात के अन्दर से प्रतिवादी द्वारा कोई नया रास्ता कायम कर सडक का निमार्ण नहीं किया जावे। इसलिये मिन वादीगन अपने अधिकारो की रक्षार्थ प्रतिवादी को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से इस अमर से पाबन्द किया जावे कि हाल आराजी ख0 न0 1275/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1277/872 रकबा 1–07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4–02 बिस्वा दरज खाता 65 एंव हाल खसरा सं0. 1274/872 रकबा 2–15 बिस्वा, 1276/872 रकबा 1–06 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4–01 बिस्वा दरज खाता 298 वाके मोजा पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर के अन्दर से प्रतिवादी कोई नया रास्ता कायम ना करे ना ही कोई किसी प्रकार से विवादित आराजी के अन्दर से कच्ची या पक्की सडक का निमार्ण ना करावे ना ही विवादित आराजीयात के किसी भी जुज के अन्दर से प्रतिवादी मिटटी उठावे। उपयोग उपभोग आराजी वादी में प्रतिवादी किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, वादीगन को आराजी जोतने फसल बोने काटने समेटने में किसी प्रकार रूकावट बाधा पैदा ना करे तथा वादी द्वारा बोई वो कुदरती फसल को नष्ट ना करें, राजस्व रिकार्ड एंव मौका की

Scanned by CamScanner

यथावत स्थिति कायम रखे। (ब) हर्जा खर्चा मुकदमा मिन वादीगन को प्रतिवादीगन से दिलाया जावे अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो बहक वादीगन बख्सी जावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण/वादीगण को उक्त अनुवानी वाद में कामयाबी की कतई भी उम्मीद नहीं करनी चाहियें। प्रार्थीगणों/वादीगणों ने गलत तथ्यों के आधार पर झूठा वादपत्र, शपथपत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थीगण/वादीगण का केस किसी भी सूरत में प्राइमाफेसाई केस आयद व साबित नहीं होता है। प्रार्थीगणों/वादीगणों ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त आराजीयात को बेजा रूप से विवादित बनाई है। तकासमा का मात्र प्रार्थीगण व तहसीलदार, कोटकासिम तक सीमित है। जिससे हम जबाबदार का कोई सम्बंध नहीं है। दावा में दर्ज खसरा नम्बरान के तरफ पश्चिम में ग्राम कादैंया की सीमा लगती है और ग्राम कादैंया की सीमा व पाटनअहीर की सीमा का जो पुख्ता डान्डा कायम हैं उसमें ग्राम कादैंया की सीमा में खसरा नम्बर 66 ग्राम कादैंया सरकारी आम रास्ता है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.7.2016 को पदेन सचिव व सरपंच ग्राम0 पंचायत पाटनअहीर व उपस्थित अन्य काश्तकारों के सामने खसरा नम्बर 66 जो सरकारी आम रास्ता है उसकी पैमाईश की गई और पुख्ता निशानात लगाये गये। इस सरकारी आम रास्ते मे ही ग्राम पंचायत द्वारा कार्य कराया जा रहा है। ऐसी सूरत में खसरा नम्बर 66 ग्राम कादैंया जो कदीमी रास्ता सरकारी है। उसमें किये जा रहे निमार्ण कार्य को प्रार्थीगण/वादीगण किसी भी रूप में नहीं रूकवा सकते हैं और नाही प्रार्थनापत्र किसी भी रूप में मुझ जबाबदार/अप्रार्थी को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र गलत है, अस्वीकार है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। जिसका प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हम दोनो भाईयों ने अपनी आरजी का विभाजन कर लिया है। हमारी इस आरजी के तरफ पश्चिम में ग्राम कादैया की सीमा लगती है। इस ग्राम कादैया के खसरा नम्बर 66 जो कि सरकारी आम रास्ता है उसके किसी भी भू–भाग पर प्रार्थीगण कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर पर किसी भी कार्य से हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा खसरा नम्बर पर ऐतराज है। अतः हमारे नम्बर खसरा 872 पर अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 872 वाके ग्राम पाटन अहीर का विवाद न्यायालय में विचाराधीन

Scanned by CamScanner

है। जो आराजी ग्राम कादैया की आराजी खसरा नम्बर 66 सरकारी आम रास्ता के तरफ पूर्व में है। दन द नों ग्राम की सीमा लगती हुई है। खसरा नम्बर 66 सरकारी आम रास्ता है जिसकी पैमाईश पटवारी हल्का पाटनअहीर द्वारा दिनांक 22.07.2016 को ग्राम सेवक पदेन सचिव व सरपंच व पूर्व सरपंच व ग्राम के अन्य मौजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराया गया है। पटवारी द्वारा निशानात काश्म किये गये उस पर ही मिटटी डालकर ग्रेवल कार्य कराया जा रहा है। विवादित खसरा न म्बर 872 ग्राम पाटनअहीर जो इस रास्ते के तरफ पूर्व में है उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही कराया जा रहा है और नाही कराया जावेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

मेरे द्वारा दोंनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रा0 में पेश किये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख. न. 872 वाके ग्राम पाटन अहीर में नरेगा अधिकारी किसी प्रकार का निर्माण सडक मिटटी खुदाई ना करावे। जबकि नरेगा अधि. की ओर से पेश किये जवाब में बताया कि नरेगा कार्यक्रम के तहत ख0 न0 66 ग्राम कांदेया तह0 कोटकासिम में सडक निर्माण कराया जा रहा है। जिसका सीमा ज्ञान पटवारी हल्का द्वारा कराया गया है। नरेगा की ओर से ग्राम सडक पदेन सचिव ने भी प्रा0. पत्र प्रस्तुत किया कि ख0 न0 872 ग्राम पाटन अहीर में कोई निमार्ण कार्य मिटटी ग्रेवल सडक आदि कार्य नहीं कराया जावेगा। प्रकरण के तथ्यों से विवादित आराजी सीमा पर स्थित है। इसलिये अप्रार्थी को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 आदेश 39 नियम 1 व 3 दफा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी को हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता कि वह विवादित आराजी ख0 न0 872 वाके ग्राम पाटनअहीर पर किसी प्रकार कोई रास्ता कायम ना कराऐं, मिटटी ना उठावे। सडक निमार्ण ना करे। प्रार्थीगण अपनी विवादित आराजीयात की पैमाईश हेतु पृथक से नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रा0 नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner